तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मदेइनिशियल्स	नम्बर आहका[illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]
31/8/21	वकील प्रार्थी उप० / 100 मामला दौरे पर गये हुये हैं। पुकार वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 2 दिनांक 7/9/21 को पेश हो। ह०	
7/9/21	वकीलों की कन्डोलेंस के कारण पुकार/दिनांक 13/9/21 को पेश हो। ह०	
13/9/21	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब को बंद किया जाता है। बहस आवेदन प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22/9/21 को पेश हो।	
22/9/21	वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में कमरे हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी-- श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
मुतफर्रिक	30.06.2021	22.09.2021

बृजलाल उर्फ बिरजू पुत्र नारान्या उम्र 51 साल जाति मीना निवासी कांवटी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

--प्रार्थी

बनाम

01. रामधन पुत्र नारान्या जाति मीना निवासी कांवटी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
02. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली(राज0)

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थितः-- श्री कुंजबिहारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कांवटी तहसील सपोटरा की आराजीयात विवादित खसरा नं0 343, 344, 399, 418, 421, 422, 431 कुल किता 7 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की शागिल की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी की उक्त दर्ज सहखातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मियों व हलका पटवारी की गलती से वारिसान नामांतरकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम बृजलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बिरजू है। प्रार्थी को ग्राम व अपने परिवार में आपसी बोलचाल में बृजलाल नाम से भी जानते पहचानते है। जबकि प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, बैंक पास बुक सभी मे प्रार्थी का नाम बिरजू दर्ज है जो कि सही व सत्य है। दिनांक 14.06.2021 को प्रार्थी ने तहसीलदार सपोटरा को अपने गलत नाम बृजलाल को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने व अपना नाम सही एवं वास्तविक नाम बिरजू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करने के लिए प्रस्तुत किया तो तहसीलदार सपोटरा ने प्रार्थना पत्र यह कहते हुए लौटा दिया कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जावेगा, इसलिए उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का आया गलत नाम बृजलाल के स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बिरजू दुरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित न्यायालय हुआ। अप्रार्थी सं0 2 को अंतिम मौका दिये जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए अप्रार्थी सं0 2 का जवाब बंद किया गया। साक्ष्य मे प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र एवं अप्रार्थी सं0 1 का शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी ग्राम कांवटी सम्बत् 2076–79, ग्राम पंचायत बाजना के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, फोटोप्रति आधार कार्ड, परिवार के राशन कार्ड की फोटोप्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति, बैंक खाता की पास बुक की फोटो प्रति पेश किये है। अप्रार्थी सं0 1 रामधन प्रार्थी का सगा भाई है जिसने अपना साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति, आधारकार्ड की फोटोप्रति, राशन कार्ड की फोटोप्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत बाजना द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम बिरजू अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से बृजलाल गलत दर्ज हो गया हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी अपना सही नाम बिरजू दर्ज करवाने का हकदार है। प्रार्थी का सगा भाई अप्रार्थी सं0 1 रामधन ने भी अपना शपथ पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी का सही नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू दर्ज किये जाने मे कोई एतराज नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात खसरा नं0 343, 344, 399, 418, 421, 422, 431 कुल किता 7 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा ग्राम कांवटी पटवार हलका बाजना तहसील सपोटरा मे प्रार्थी का दर्ज गलत नाम बृजलाल के स्थान पर वास्तविक नाम बिरजू पुत्र नारान्या दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सपोटरा
जिला करौली (राज0)